न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारी :– जय प्रकाश (आर.ए.एस.)

पत्रावली संख्या–12 / 2018 प्रार्थना पत्र जागीर

महावीर जति (यति) चेला स्व. श्री गुलाब जति (यति) जाति हिन्दु निवासी गाड़ोदा महन्त एवं पुजारी मूर्ति मन्दिर श्री शंकर जी, गाड़ोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

हर आम व खास

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत प्रपत्र 12 ए संशोधित किये जाने ।

वकील प्रार्थी श्री अमरचन्द गोयल

निर्णय **दिनांकः– 18.01.2019**

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम गाड़ोदा में मूर्ति मन्दिर श्री शंकरजी (शिवमठ) का मन्दिर अवस्थित है। इस मन्दिर की पूजा पूर्व पुजारी स्व0 जोरजति चेला गंगजति उर्फ गीगजति करते आ रहे थे। जो मन्दिर की पूजा अर्चना भोग आदि की व्यवस्था व सेवा आदि करते थे। जिनकी मृत्यु दिनांक 15.10.1978 को हो चुकी है। जिनको देव स्थान विभाग उदयपुर द्वारा 134.88 / –रूपये मिलते थे। स्व0 जोरजति चेला गंगजति उर्फ गीगजति की मृत्यु के पश्चात मन्दिर की सेवा पूजा करने का कार्य प्रार्थी के गुरू श्री गुलाब जति (यति) करते थे। जिनकी मृत्यु दिनांक 02.06.2018 को हो चुकी है। प्रार्थी उनका चेला होने तथा जरिये पंजिबद्व वसीयत, उत्तराधिकारी एवं शिष्य होने से मन्दिर की सेवा पूजा प्रार्थी महावीर जति ही कर रहा है। तथा उनके पश्चात् मन्दिर श्री शंकरजी की सेवा पूजा व भोग प्रार्थी द्वारा ही चढ़ाया जा रहा है। अतः प्रार्थी के नाम प्रपत्र 12ए जारी किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उजरदारी नोटिस एक माह का जारी किया गया। नोटिस पर किसी प्रकार का ऐतराज नही आया तथा प्रार्थी की ओर से वकील श्री अमरचन्द गोयल ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रपत्र 12बी की फोटो प्रति पेश की, जिसके क्लेम नम्बर 87 में मन्दिर श्री शंकरजी पुजारी श्री जोरजति चेला गंगजति स्वामी निवासी गाड़ोदा अंकित है। प्रार्थी ने स्वयं का आधार कार्ड की फोटो प्रति, सरपंच ग्राम पंचायत गाड़ोदा द्वारा श्री जोरजति चेला गीगजति का स्वर्गवास प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, गुलाब जति के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति एवं वसीयतनामा की फोटो प्रति पेश की गई। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ से रिपोर्ट ली गई। बहस सुनी गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पूर्व पुजारी जोरजति चेला गंगजति उर्फ गीगजति की मृत्यु दिनांक 15.10.1978 को हो चुकी है, जिसके नाम से मन्दिर श्री शंकरजी के पुजारी श्री जोरजति चेला गंगजति को घोषित किया हुआ है तथा प्रपत्र 12बी क्लेम नम्बर 87 राशि 134.88 / – रूपये का जारी किया हुआ

Web Copy - Not Official

किसी भी प्रकार की आपति नही आई है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 16.01.2019 के अनुसार ग्राम गाड़ोदा में स्थित मन्दिर श्री शंकरजी की व्यवस्था, सेवा–पूजा व देखरेख का कार्य पूर्व पुजारी स्व. श्री जोरजती चेला गीगजती के बाद स्व. श्री गुलाबजती चेला श्री जोरजतीजी की मृत्यु के पश्चात श्री महावीरजती ही कर रहे है एवं वर्तमान में महावीरजती मन्दिर का पुजारी व महन्त है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः

आज्ञा है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मन्दिर श्री शंकरजी के पुजारी श्री जोरजती चेला गीगजती की मृत्यु एवं श्री गुलाबजती चेला जोरजतीजी की मृत्यु उपरान्त प्रार्थी महावीर जति (यति) चेला स्व. श्री गुलाब जति (यति) निवासी गाड़ोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ के नाम से संशोधित प्रपत्र 12ए जारी होकर आयुक्त, देव स्थान विभाग,उदयपुर (राजस्थान) व सम्बन्धित को प्रति भिजवाई जावे। फार्म 12ए में इस प्रकार का नोट लगाया जावे कि यह वार्षिक वृति प्राप्त करने हेतु ही मान्य होगा। राजस्व रिकार्ड में मूर्ति मन्दिर की भूमि की खातेदारी में नाम अंकन हेतु मान्य नही होगा। भूमि मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में ही रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/1/19

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official